पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

साप्ताहिक शुक्रवार परेड में पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन पहुंच परेड की सलामी ली गई... रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासन, स्वच्छता एवं कर्तव्यनिष्ठा का दिया मूलमंत्र.....।

आज दिनांक 12.09.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस लाइन पहुंच सप्ताहिक शुक्रवार परेड की गरिमामयी सलामी ली गई। परेड उपरांत टोलीवार निरीक्षण किया गया।

इस दौरान सभी टोलियों को अनुशासन, एकरूपता एवं तालमेल के लिए ड्रिल अभ्यास कराया गया। साथ ही शारीरिक दक्षता बढ़ाने हेतु दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कर पुलिस कर्मियों को मानसिक व शारीरिक रूप से सजग रहने का संदेश दिया।

परेड के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को संबोधित किया गया। अपने प्रेरणादायी संबोधन में उन्होंने रिक्रूट्स को पुलिस सेवा की गरिमा, व्यवहार की मर्यादा, परिसर की स्वच्छता, तथा एकजुटता से कार्य करने के महत्व पर विशेष बल देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया।

इसके उपरान्त रिक्रूटों के आवास, भोजनालय का अवलोकन किया गया तदोपरान्त अर्दली रूम कार्यवाही के तहत विभिन्न शाखाओं, गार्द रजिस्टरों एवं कार्यालय व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्तव्य के प्रति सजग रहते हुए कार्य संस्कृति में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

प्रतिसार निरीक्षक (RI) श्री शिवकुमार को निर्देशित किया गया कि चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परेड ग्राउंड सहित सम्पूर्ण पुलिस लाइन परिसर की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था, मरम्मत एवं अन्य सभी जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह, आरआई श्री शिवकुमार, सीए श्री जाकिर हुसैन, आरटीसी प्रभारी श्री अरविन्द सिंह गौर सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री अर्जुन सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 रामकिशन यादव, उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा व का0 विनोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 02 नफर वारण्टी अभियुक्त 1.नरेश चन्द्र पुत्र खुमान सिंह उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम देवगनपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 2013/2020 अ0सं0 74/18 धारा 60 आबकारी अधि0 2.लक्ष्मण पुत्र शिवचरण लोधी निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा सम्बन्धित मु0नं0 1433/12 धारा 387/327 भादवि को गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रामकिशन यादव थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा।
3. का0 विनोद कुमार थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नरेश चन्द्र पुत्र खुमान सिंह उम्र करीब 53 वर्ष निवासी ग्राम देवगनपुरा थाना पनवाडी जनपद महोबा
2. लक्ष्मण पुत्र शिवचरण लोधी निवासी ग्राम मसूदपुरा थाना पनवाडी महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को किया गया जागरूक...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में *महिला सशक्तिकरण एवं महिला सुरक्षा* सम्मान हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक- 12.09.2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसी क्रम में जनपद के अन्य थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया और शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं एवं महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पम्पलेट वितरित कर हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार-प्रसार किया गया। जिसमें क्रमशः

थाना कोतवाली नगर महोबा – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना कबरई – कस्बा कबरई में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खन्ना- श्री ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज थाना खन्ना में
थाना चरखारी – कस्बा चरखारी में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में एवं सार्वजनिक स्थानों में
थाना खरेला – कस्बा खरेला के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में
थाना श्रीनगर – विभिन्न सार्वजनिक एवं भीड भाड वाले स्थानों में
थाना पनवाड़ी – थाना पनवाड़ी के कस्बा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों में
थाना महोबकंठ – कस्बा महोबकंठ के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में

इस दौरान महिलाओं बालिकाओं से वार्ता कर परस्पर उनकी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें उनके अधिकारों से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों, *गुड टच-बैड टच*, *साइबर अपराध* से बचाव एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर:-

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा, **1076 –** मा० मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
1090 – विमेन पावर हेल्पलाइन, **1930 –** साइबर अपराध हेल्पलाइन **102 –** स्वास्थ्य सेवा,
108 – एम्बुलेंस सेवा **1098 –** चाइल्ड हेल्पलाइन, **181 –** महिला हेल्पलाइन

इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं, बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और हर परिस्थिति में उन्हें त्वरित सहायता उपलब्ध कराना है।

महोबा पुलिस

थाना कबरई की पुलिस टीम ने फर्जी रायल्टी प्रकरण से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में फर्जी रायल्टी प्रकरण के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष कबरई, श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी।

थानाध्यक्ष कबरई के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने दिनांक- 11.09.2025 को थाना कबरई में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 246/25 धारा 305/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2)/3(5) बीएनएस 01 नफर वांछित अभियुक्त रणधीर सिंह परिहार उर्फ जोनू पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी मुहल्ला किदवई नगर कस्वा व थाना कबरई उम्र करीब 32 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 246/25 धारा 305/318(4)/338/336(3)/340(2)/317(2)/3(5) बीएनएस को स्टेट बैंक शाखा कबरई के पीछे वाली गली बहद कस्वा व थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 04 अदद फर्जी एम.एम.11 की छायाप्रतिया व 01 अदद पीएमएम 11 की द्वितीय प्रति की छायाप्रति व 01 अदद फर्जी ई-फार्म सी 01 अदद मोबाइल एंड्राइड बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

अभियुक्त के कब्जे से बरामद सम्पत्ति – 04 अदद फर्जी एम.एम.11 की छायाप्रतिया व एक अदद पीएमएम 11 की द्वितीय प्रति की छायाप्रति व एक अदद फर्जी ई-फार्म सी 01 अदद मोबाइल एंड्राइड बरामद हुआ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष कबरई, श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. व0उ0नि0 मलखान सिंह
3. का0 धर्मेन्द्र कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त रणधीर सिंह परिहार उर्फ जोनू पुत्र राजेन्द्र सिंह उम्र करीब 32 वर्ष निवासी मुहल्ला किदवई नगर कस्वा व थाना कबरई

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 12.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

नो हेलमेट – नो फ्यूल... आपका जीवन है अनमोल
सड़क सुरक्षा का ये है रूल, पहले हेलमेट – फिर फ्यूल
हेलमेट है कूल, तभी मिलेगा फ्यूल...

जनपद महोबा में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आज दिनांक- 12.09.2025 को यातायात पुलिस महोबा एवं परिवहन विभाग महोबा द्वारा संयुक्त कार्यवाही में यातायात जागरुकता एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस संयुक्त अभियान में एआरटीओ श्री दयाशंकर, प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनील कुमार सिंह एवं सप्लाई इंस्पेक्टर श्री प्रवीण वर्मा द्वारा अभियान के तहत जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर "नो हेलमेट – नो फ्यूल" नियम का पालन सुनिश्चित कराने हेतु पेट्रोल पंप संचालकों एवं आमजन को जागरूक किया गया। शासन के निर्देशानुसार आगामी एक माह तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोग हेलमेट पहनने के प्रति प्रेरित हों और सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावी कमी लाई जा सके।

इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तनात्मक कार्यवाही भी की गई। पुलिस टीम द्वारा पेट्रोल पंप संचालकों, स्टाफ तथा दोपहिया वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराते हुए "नो हेलमेट – नो फ्यूल" का पालन अनिवार्य रूप से करने हेतु प्रेरित किया गया।

जनपद महोबा पुलिस की अपील-

- कोई भी दोपहिया वाहन चलाते समय अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट अवश्य पहनें।
- याद रखें सड़क सुरक्षा ही जीवन रक्षा है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 12.09.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना अजनर की पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.09.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सत्यपाल सिंह द्वारा थाना स्तर पर संयुक्त टीमों का गठन किया गया गठित की गयी टीम के उ0नि0 आकाश मौर्य द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/25 धारा 137(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त ब्रजेश पुत्र ब्रषभान राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अकौनी थाना अजनर जनपद महोबा को रेंज तिराहा ग्राम अजनर से मुकदमा उपरोक्त की अपहृता के साथ नियमानुसार गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 87/65(1) बी0एन0एस0 व 5/6 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अन्य आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0स0 144/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त अमित अहिरवार पुत्र महिपत अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम बिजौरी से नियमानुसार गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय महोबा के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.ब्रजेश पुत्र ब्रषभान राजपूत उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अकौनी थाना अजनर महोबा।

2.अमित पुत्र महिपत अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम बिजौरी थाना अजनर महोबा

गिरफ्तार करने वाली प्रथम पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्य थाना अजनर जनपद महोबा।
2. का0 आशीष यादव थाना अजनर जनपद महोबा।
3. म0का0 ममता कुशवाहा थाना अजनर जनपद महोबा।

द्वितीय पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राधा मोहन त्रिवेदी थाना अजनर जनपद महोबा।
2. का0 भरत सिंह थाना अजनर जनपद महोबा।